

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग - 2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

SBI MAIN BRANCH AGRA

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
जिस व्यक्ति(पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम एवं पता
SBI MAIN BRANCH AGRA
मुख्य-शाखा गौरीपुर, अयोध्या
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
श्री सुरेश कुमार दुबे गौरीपुर, मुख्य-शाखा गौरीपुर, अयोध्या ड्राफ्ट नं० 13/08/23 के पी-गौरीपुर गौरीपुर
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
राजनाम वाहन एडव.प. 7960228 में वा. गौरीपुर 490 रु के खर्च में जमा की गयी धनराशि
- जमा की जा रही धनराशि
490 x 3 = 1470/-
- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/मुहर
RS - 1470/-
रु. हजार चार सौ सत्तर रुपये मात्र
- लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड
00706080005
00706080005

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	व्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंकों में
0070	60	200	05		1470/-
					/

धनराशि (शब्दों में) *रु. हजार चार सौ सत्तर मात्र* योग *1470/-*

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

Chavani
26/08/2023
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
मुख्य व्यवसायिक अधिकारी
जमपद-अयोध्या

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या *HS00025* अंको में रु.
शब्दों में रु.

470
28 AUG 2023
आपका नाम के हस्ताक्षर

द्वारा

माननीय जनपद न्यायाधीश,
औरैया।

द्वारा

श्रीमान् प्रभारी अधिकारी नजारात अनुभाग /
विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट,
जनपद न्यायालय औरैया।

महोदय,

माननीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा वाही गयी आख्या दिनांकित 19.08.2023 के अनुपालन में निवेदन इस प्रकार है कि राजकीय वाहन चालक श्री राहुल सिंह द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 19.08.2023 के अनुसार श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद न्यायालय औरैया अपने निजी कार्य से राजकीय वाहन बोलेरो वाहन सं०- यू०पी० 79 जी 0228 से दिनांक 13.08.2023 को ओरक्षा, दतिया म०प्र० गये थे, जिसमें उक्त राजकीय वाहन से कुल 490 कि०मी० की निजी यात्रा की गयी है।

श्रीमान् जी शासनादेश सं०- 315/दस-सं०वि०-मित०-02 97 एवं पुनरीक्षित शासनादेश सं०- 1/2017 सी०ए० 400/दस/2017 मित० 1/2017 के अनुसार 200 कि०मी० प्रतिमाह निजी यात्रा राजकीय वाहन द्वारा अनुमत्य होगी। यदि किसी माह में 200 कि०मी० से अधिक निजी यात्रा की जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा रु० 3.00 प्रति कि०मी० प्रति वाहन की दर से घनराशि देय होगी।

उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित 200 कि०मी० की छूट का लागू वर्तमान माह के अन्त में लेते हुए श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद न्यायालय औरैया द्वारा दिनांक 13.08.2023 को ओरक्षा, दतिया म०प्र० की 490 कि०मी० की निजी यात्रा का गुगतान शासनादेश में अंकित दर रुपये रु० 3.00 प्रति कि०मी० के हिसाब से कुल 1,470/- (रुपये एक हजार चार सौ सत्तर मात्र) देय है। उक्त घनराशि को मुख्य लेखा शीर्षक 0070 उप मुख्य लेखा शीर्षक 60 लघु शीर्षक 800 05 में जरिये वालान श्रीमान् जी द्वारा जमा की जानी है।
आख्या सादर प्रस्तुत है।

[Signature]
24/08/23
केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय औरैया।

सं० 2
24/08/23

Permitted
to form officer concerned
immediately

Dist. J. D. Singh
A. P. Singh

25/08/2023